विचार बिन्दु

तुम ये कभी मत सोचो कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना तो सबसे बड़ा अधर्म है। अगर कोई पाप है, तो वो यही है; ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य लोग निर्बल हैं। –स्वामी विवेकानंद

ग्रामीण भारत की जमीन से सम्बंधित कानूनों की परेशानी

कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री जी ने 69 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उपखण्ड, तहसील, उपतहसील कार्यालय के शुभारम्भ, लोकार्पण व सिलान्यास समारो को सम्बोधित करते हुए कुछ व्यथाएं व्यक्त किए।

मुख्य मंत्रीजी ने व्यक्त किया कि राजस्व मंडल में तीन-तीन पीढ़ी तक के मामले फ़ंसे हुए है, क्या बीतती होगी उन लोगों पर, कल्पना करो, 2,3 पीढियां खत्म हो जाती हैं।

उनकी दूसरी व्यथा थी कि उनकी पिछली सरकार ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम परित किया किन्तु अधिकारी भाजपा सरकार को समझ नहीं पाए। अधिनियम प्रभावी तरीके से लागू नही, इसका दुख है।।

इस लेख का विषय ग्रामीण भारत की जमीन सम्बंधित कानूनों से हैं।

1. पहली समस्या खेतों पर आने जाने के रास्तो की है। बहुत से रास्ते कई दशकों से काम में आ रहे है किंतु सेटलमेंट व राजस्व अधिकारियों की गलती से बहुत से खेतों से खेतों में जाने वाले रास्तों का राजस्व नक्शों में अंकन नहीं है। गांवों में विभिन्न कारणों से आपसी विद्वेष बढ़ने के कारण, आए दिन रास्तों को लेकर विवाद होते हैं। अदालतों में मुक्कदमेबाजी होती है।

सरकार को अभियान चलाकर, मजमें आम में दरियाफ्त कर इन रास्तों का नक्शों में अंकन करना चाहिए। इसके साथ-साथ गांव से गांव जाने वाले रास्तों और केवल खेतों से खेतों में जाने वाले रास्तों की स्टैंडर्ड चौड़ाई निर्धारित कर नक्शों में दर्शित करनी चाहिए। यह चौड़ाई कम से कम ट्रैक्टर के आने जाने के लिए पर्याप्त हो। इन नक्शों में अंकित रास्तों को राजकीय भूमि का अंकन होना भी आवश्यक है। इसके लिए टिनेंसी एक्ट में उचित प्रावधान कर, सरसरी सुनवाई कर रिकार्ड दुरस्ती के अधिकार भी बने। केवल इससे समस्या समाधान नहीं होगा। नक्शे में दर्शाए रास्ते पर अतिक्रमण करने की स्थिति में राजस्व अधिनियम की धारा 91 का उपयोग कर तुरन्त बेदखल किए जाए।

रास्तों के लिए वर्तमान व्यवस्था तो बड़ी हास्यस्पद व मात्र कोलोनाइजर्स के हित साधने वाली है। यह वैसे ही है जैसे कि कोई अपना मकान या उसका कोई हिस्सा किराए पर दे और कहे कि मकान में आने जाने के रास्ते की अनुमति पड़ोसी से ले।

वर्तमान व्यवस्था के अनुसार किसी को अपने खेत में जाना है तो वह जिन खेतों में से उसका रास्ता है उन्हें रास्ते का मूल्य चुकाए और फिर उस रास्ते का अंकन नक्शे में सरकारी रूप में होगा।

कल्पना करें कि एक आदमी को गांव से अपने खेत में जाने के लिए 10 खेतों में से जाना है। अन्य लोग भी इस रास्ते का दशकों से उपयोग करते हैं किंतु पार्टीबाजी के कारण 1,2 व्यक्तियों को रोका जाता है तो वे कृषक अदालतों के चक्कर लगाकर, फैसला करवाए, सब 10 खेत वालों को मूल्य चुकाए और बाद में उस रास्ते का उपभोग अन्य सब लोग भी कर लें।

कृषक सरकार का टिनेंट है और यह लैंड लार्ड का दायित्व है कि उसे अपनी टिनेंसी के उपभोग के लिए रास्ता दे।

2. राजस्व कानून गत सदी के 50 के दशक में बने थे। तत्समय राजस्व अधिकारी, पटवारी आदि विभिन्न रियासतों से आए थे, शैक्षिक योग्यताएं भिन्न-भिन्न थी, कानून की जानकारी, समझ की दृष्टि से पर्याप्त भी नही समझी गई होगी। जनता को भी कानूनों, प्रक्रियाओं की ज्यादा जानकारी थी।

सरकार को अभियान चलाकर, मजमे आम में दरियाफ्त कर इन रास्तों का नक्शों में अंकन करना चाहिए। इसके साथ-साथ गांव से गांव जाने वाले रास्तों और केवल खेतों से खेतों में जाने वाले रास्तों की स्टैंडर्ड चौड़ाई निर्धारित कर नक्शों में दर्शित करनी चाहिए। यह चौड़ाई कम से कम ट्रैक्टर के आने जाने के लिए पर्याप्त हो।

इसलिए इन कानूनों में अधिकार तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी, कलेक्टर आदि को दिए गए। अब पटवारी से लेकर ऊपर तक के राजस्व कर्मचारी और ग्राम पंचायतों के पदाधिकारी हर दृष्टि से कानूनों को समझने और उनकी क्रियान्विति करने-कराने में सक्षम है। इसलिए अब एसडीओ के कुछ अधिकार तहसीलरों को, और तहसीलदारों के अधिकार ग्राम पंचायत, गिरदावर,पटवारी को दिए जाएं। ग्राम पंचायत को राजस्व कानूनों में राजस्व न्यायालय का दर्जा डित जाना चाहिए। पंचायत को मुख्यत: सीमा ज्ञान, इनतकाल तस्दीक, सहखातेदारों में खेतों के बंटवारे के अधिकार और पटवारी, गिरदावर मोके की स्थिति के अनुसार आवश्यक नाप रिपोर्ट्स ग्राम पंचायत को सौंपे और पंचायत फैसले का रिकार्ड में अंकन करे।

3. राजस्व मंडल में आरएएस सदस्यों की नियुक्ति पूर्वानुसार एक उच्चाधिकार समिति द्वारा पूर्णत: मेरिट के आधार पर चयन से हो और सदस्य बनने के उपरांत आरएएस से त्यागपत्र दिया जाए। वर्तमान में एक व्यक्ति सदस्य होने के कारण आईएएस अधिकारियों की अपील, रिवीजन मामलों की सुनवाई करता है। बाद में वह सदस्य आरएएस से प्रमोट होकर कलेक्टर बनता है और उसकी अपीलें राजस्व मंडल सदस्य सुनता है।

(3) आईएएस में से राजस्व मंडल के सदस्य बनने की एक स्वस्थ परम्परा थी कि जिस किसी के सुपर टाइम स्केल में प्रमोसन होता था उन्हें सदस्य नियुक्त किया जाता और फिर अन्य अधिकारियों के परमोसन होने पर उन्हें लगा दिया जाता था। अब अधिकांशत: जिन अधिकारियों से सरकार किसी भी कारण से अप्रसन्न है तो उन्हें सदस्य बना दिया जाता है। जनता में यह धारणा बनी हुई है, इसे समाप्त किया जाए।

(4). स्थगन आदेशों के सम्बंध में--कई बार स्थगन आदेश मिलने के उपरांत पक्षकार येन केन प्रकारेण मुकद्दमा लम्बा खींचता रहता है। अस्थाई स्थगनादेश की समयावधि एक माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिन प्रकरणों में स्थगनादेश कन्फर्म किया जाए उनमें दो एडजोर्नमेंट्स का अंतराल अधिक से अधिक 2 माह हो और पक्षकारों को 3, 3 से अधिक एडजोर्नमेंट्स नहीं में। इन सब का कानून, नियमों में आज्ञापक प्रावधान हो।

(5). अदालती फैसले की तुरन्त-फुरन्त रिकार्ड में अमल की कार्यवाही भी नए विवाद उतपन्न करती है। देखा गया है कि कुछ मामलों में (किसी भी प्रकार से) फैसला होते ही, पक्षकार हर तरीके अपना कर रिकार्ड में अमल कर लेते है जिनसे कई बार अनावशयक नए विवाद पैदा होते हैं। यह प्रावधान इस दुष्प्रवृतिय को रोक सकता है कि अपिल-रिवीजन की निर्धारित अवधि में अदालती फैसलों के अमल नहीं होगा।

(6) अदालतों में देरी का एक अन्य कारण निचली अदालतों के रिकार्ड समय पर प्राप्त नहीं होना भी है। देखने में आता है कि अभिलेख इक्कठा करने में हो वर्ष निकलना इस देरी को कम करने के लिए यह प्रावधान किया जा सकता है कि अपील अवधि व उसके 15 दिन की अवधि में फैसला करने वाली अदालत, केस का रिकार्ड निचली अदालतों में नहीं भेजेगी। इस अवधि में अपील आदि होने पर फैसला करने वाली अदालत अपना व नीचे से मंगवाया अभिलेख, जहां अपील हुई है उस कोर्ट को भेजे दे।

(7) मंदिर मूर्ति के नाम व माफी मंदिर की भूमियां:- रियासत काल की जागीरों के रिजम्पसन के बाद उन भूमियों पर काबिज कृषकों को खातेदारी अधिकार दिए गए। जागीरदारों को उनकी खुदकाश्त की भूमि पर खातेदारी अधिकार दिए गए। मंदिर की मूर्ति भी जागीरदार की हैसियत मानी गई। किन्तु अभी भी बहुत से मामले अटके हुए है। इन प्रकरणों में उच्चतम न्यायालय की भी व्यवस्था आ चुकी। शेष मामलों को अभियान चला कर निपटाया जाना चाहिए।

कुछ तो पूरे गांव ही मूर्ति/मंदिर के नाम हैं, जैसे अजमेर का देवमाली गांव पूरा ही श्री देवनारायण महाराज की खातेदारी में। ऐसे ओर भी प्रकरण हो सकते है। इन ग्रामों में काबिज काश्तकारों को यदि खातेदारी अधिकार देने में कोई बड़ी कानूनी, प्रशासनीक बाधा हो तो उन्हें कम से कम इन्हेरीटेबल राइट्स वाले उप कृषक तो बनाओ। रेवनुए नक्शे में कबीजों के खेत तो दर्शाएं जाए। वैसे इन किसानों से एकमुश्त राशि मंदिर ट्रस्ट में लेकर खातेदारी अधिकार देने पर विचार किया जाना चाहिए।

-अतिथि सम्पादक,
महावीर सिंह,
आई.ए.एस. (से.नि.)

महिला शिक्षा की वर्तमान स्थिति

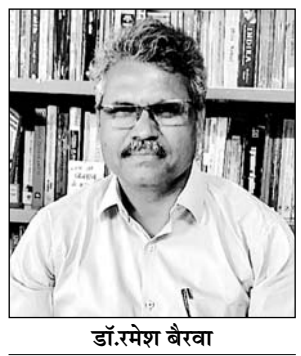

डॉ.रमेश बैरवा

विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शुद्र गए, इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए । विद्या अर्थात शिक्षा के बारे में महात्मा ज्योतिबा फूले के मुक्तिगामी विचारों की वाहक, शोषणमुक्त समाज के लिए संघर्ष की सहयात्री सावित्रीबाई फूले को सादर नमन।

भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग की ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2019-20 की रिपोर्ट के आंकड़ों के आधार पर स्कूली एवं उच्च शिक्षा में महिलाओं की सहभागिता में तेजी से सुधार हो रहा है । कक्षा 8वीं तक तथा पीजी एवं यूजी के स्तर पर महिला विद्यार्थियों का नामांकन पुरुष विद्यार्थियों से ज्यादा हो गया है। भारत में स्कूलों की संख्या 15 लाख 7 हजार 708 एवं राजस्थान में यह संख्या 1 लाख 6 हजार 240 है, जिनमें करीब 25 करोड़ विद्यार्थी पढ़ते हैं। इन 25 करोड़ विद्यार्थियों में से 13 करोड़ लड़के एवं 12 करोड़ लड़कियां हैं । स्कूल शिक्षकों की संख्या राष्ट्रीय स्तर पर 96 लाख 86 हजार 577 एवं राजस्थान में 7 लाख 74 हजार 21 है। राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल शिक्षकों में 50 प्रतिशत महिला शिक्षक हैं तथा राजस्थान में यह आंकड़ा 39 प्रतिशत का है । देश में 1043 विश्वविद्यालय एवं 42343 महाविद्यालय हैं। राजस्थान में 89 विश्वविद्यालय एवं 3380 महाविद्यालय हैं। उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या 3 करोड़ 85 लाख है जिसमें से एक करोड़ 96 लाख पुरुष एवं एक करोड़ 89 लाख महिला विद्यार्थी हैं। महिला विद्यार्थियों का प्रतिशत 49 है। पुरुष विद्यार्थियों का जीईआर 26.9 एवं महिला विद्यार्थियों में यह 27.3 का है। राजस्थान में यह 24.1 है जिसमें 24.3 पुरुष एवं 23.9 महिला का है।

■ राष्ट्रीय स्तर पर 50 तथा राजस्थान में 39 फीसदी महिला शिक्षक हैं

दूरस्थ शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों में 44.5 प्रतिशत महिला विद्यार्थी हैं। 78 प्रतिशत कॉलेज निजी क्षेत्र में है। उच्च शिक्षा में कार्यरत कुल 1503156 शिक्षकों में से 57. 5 प्रतिशत पुरुष शिक्षक एवं 42.5 प्रतिशत महिला शिक्षक हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ में 100 पुरुष कर्मियों पर 51 महिला कर्मी हैं। वर्ष 2019 में 38986 विद्यार्थियों को पीएचडी की डिग्री दी गई, जिनमें से 21 हजार 577 पुरुष एवं 17409 महिला शोधार्थी हैं।

प्रदेश स्तर के निजी विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी एवं इंस्टीट्यूशंस आफ नेशनल इंपोर्टेंस में महिला विद्यार्थियों का नामांकन सबसे कम है। पीएचडी के 2 लाख 2 हजार 550 में से 1 लाख 11 हजार 444 पुरुष एवं 92 हजार 106 महिला विद्यार्थी हैं। राजस्थान के 10 हजार 850 पीएचडी शोधार्थी में 5 हजार 478 पुरुष एवं 5 हजार 372 महिलाएं हैं। पीजी में अखिल भारतीय स्तर पर हुए कुल नामांकन 43 लाख 12 हजार 245 में से 18 लाख 60 हजार 163 पुरुष एवं 24 लाख 52 हजार 372 महिला विद्यार्थी हैं। अर्थात करीब 6 लाख महिला विद्यार्थी अधिक हैं। अंडर ग्रेजुएट विद्यार्थियों की कुल संख्या 3 करोड़ 6 लाख 47 हजार 287 में से 1 करोड़ 55 लाख 63 हजार 77 पुरुष एवं 1 करोड़ 50 लाख 84 हजार 210 महिला विद्यार्थी हैं। अर्थात 4 लाख 78 हजार महिला विद्यार्थी अधिक हैं। राजस्थान में पीजी में 2 लाख 46 हजार 73 में 1 लाख 15 हजार 851 पुरुष एवं 1 लाख 30 हजार 222 महिला विद्यार्थी हैं। यूजी के 17 लाख 61 हजार 65 में से 9 लाख 7 हजार 391 पुरुष एवं 8 लाख 53 हजार 674 महिला विद्यार्थी हैं।

डॉ.रमेश बैरवा
प्रदेश संयोजक
शिक्षा बचाओ आंदोलन

उत्तराखंड स्थित केदारकांठा चोटी पर 280 फीट लम्बा तिरंगा फहराया

गंगापुर सिटी, (निस)। इंडियन एडवेंचर फाउंडेशन से सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी निवासी पीयूष जतिन सहित 18 साथीयों ने उत्तराखंड स्थित केदारकांठा चोटी पर 280 फीट का भारतीय ध्वज फहराया।

इंडियन एडवेंचर फाउंडेशन के इस अभियान का नेतृत्व कर रहे छत्तीसगगढ के पर्वतारोही रोहित झा में बताया की इस ट्रेक में राजस्थान सवाई माधोपुर गंगापुर से पियूष व जतिन का चयन हुआ साथ ही सिरोही से शंकर शामिल हुए । रोहित ने बताया कि दिल्ली सहित छह राज्यों ने भाग लिया जिसमे राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ जिसमे कमलेश, अभय, पल्लवी, निशा आदि मौजूद रहे। ये दल देहरादून से सँकरी 6400०० फीट, सँकरी वे जुडा का तालाव 9100 फीट बेस कैंप प्रथम बेस कैंप पहुंचे। द्वितीय बेस कैंप हरगांव होते हुए तीसरे दिन केदारकांठा बेस कैंप 11250 फीट पहुचे। इसी तरह चौथे दिन केदारकांठा बेस से केदारकांठा पीक 12500 फीट पर पहुचे। रोहित ने बताया कि रात्रि 3 बजे लगातार पैदल ट्रेक करने के बाद 2 जनवरी को सुबह लगभग ०6 बजे पहुचे। इसके उपरांत बेस कैंप पर-०5 डिग्री और अन्तिम पीक पर-16 डिग्री तक तापमान रहा।

केदारकांठा चोटी पर तिरंगा फहराते पर्वतारोही।

■ दल में राजस्थान के सवाई माधोपुर, गंगापुर से पीयूष व जतिन का चयन हुआ
■ दिल्ली सहित राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़ के लोग दल में शामिल रहे

इस स्थिति में 12500 फीट पर 28 फीट का भारतीय ध्वज फहरा कर सभी अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। पार्वतारोही संजय सिंह भोज, राजस्थान स्टेट फील्ड ऑफिसर नरेंन्द्र कुमार शर्मा, स्टेट एडवेंचर ऑफिसर रंजीत, स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर प्रियंका, राजस्थान के डिप्टी डायरेक्टर एल एन वैरवा ने बधाईया दी। इससे पूर्व इंडियन एडवेंचर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष इफ्राईम अहमद व चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर गयस अहमद ने सभी प्रतिभागिओं व ट्रेक लीडर रहे रोहित झा को इस सफलता पर बधाई दी।

भरतपुर की सौ से अधिक संस्थाओं पर संकट के बादल मंडराये

भरतपुर, (निसं)। उत्तरी भारत की 100 वर्ष से अधिक पुरानी ऐतिहासिक साहित्यक संस्था श्री हिंदी साहित्य समिति पर आजकल संकट के बादल मंडरा रहें है। इस हिंदी साहित्य समिति में पुराने समय में विश्व कवि रविन्द्र नाथ टैगोर, पंडिम मदन मोहन मालवीय, राजर्षि पुरूशोत्तम दाम टंडन, पूर्व उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉ. राधाकृष्णन, पूर्व मुख्यमंत्री मोहन लाल सुखाडिया, बृजेन्द्र सवाई महाराजा कृष्ण सिंह, राजमाता गिर्राज कौर, मौरारजी देसाई, पूर्व उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती, कथाकार भीष्म सहानी, कहानी कार कमलेश्वर जैसी महान साहित्यक हस्तियां समिति को गौरवान्वित कर चुकी है।

लेकिन इस समिति में पिछले लंबे समय से दो कर्मचारियों का वेतन नही मिलने की वजह से अब कोर्ट ने समिति के एक भाग को नीलाम करने के आदेश दिए है। जिसकी पालना में आज कोर्ट के स्टाफ ने नीलामी की कार्यवाही किए जाने से शहर में साहित्यक संस्था पर छा रहे संकट के बादलों को दूर किए जाने की चर्चा बनी रही। भरतपुर की हिंदी साहित्य समिति के एक भाग की

■ दो कर्मचारियों का वेतन नहीं मिलने पर कोर्ट ने संस्था के एक भाग को बेचने के आदेश दिए

शुक्रवार को नीलामी होनी थी, जिसके लिए कोर्ट के सेलअमीन विकास आनन्द सहित अन्य लोग हिंदी साहित्य समिति में समिति को नीलामी की कार्यवाही करने के लिए शुक्रवार को पहुंचे लेकिन नीलामी में एक भी खरीदार ने बोली नही लगाई।

हालांकि नीलामी के लिए तीन जनों को नीलामी में शामिल होना जरूरी था लेकिन एक व्यक्ति नीलामी में पहुंचा जिससे नीलामी का कोरम पूरा नही होने से इस समिति की नीलामी आज नही हो सकी जिससे समिति व समिति के साहित्यक प्रेमी लोगों को राहत मिली है। बताया गया है कि दो कर्मचारी दाऊ दयाल लाइब्रेरियन व त्रिलोकी नाथ शर्मा क्लर्क ने 17 साल की सैलरी पाने के लिए केस न्यायालय में कर रखा था।

मंडफिया दरबार के भंडार से 7 करोड़ तीन लाख की राशि निकली

मंडफिया,(निसं)। मेवाड़ अंचल के प्रमुख तीर्थ स्थल भगवान श्री सांवलियी सेठ मंडफिया के दरबार में गत 1 जनवरी नववर्ष पर खोले गए भंडार की शेष रही राशि की गिनती शुक्रवार को संपन्न हुई। श्री सांवलिया जी मंदिर बोर्ड चेयरमैन कन्हैयालाल वैष्णव ने बताया कि भंडार की गिनती पांच चरणों में हुई, जिसमें सभी को मिलाकर कुल एक माह में भंडार से 7 करोड़ 3 लाख 87 हजार 914 रुपए नगद प्राप्त हुए।

■ भंडार से 142 ग्राम सोना एवं 7 किलो 140 ग्राम चांदी भी प्राप्त हुई
■ भंडार की गिनती पांच चरणों में संपन्न हुई

वैष्णव ने बताया कि इसके अलावा विभिन्न भक्तों ने विभिन्न स्थानों से मनी ऑर्डर भेजकर एवं स्वयं उपस्थित होकर एवं ऑनलाइन द्वारा

91 लाख 73 हजार 973 रुपए मंदिर कार्यालय में भेंट जमा करवाएं। वैष्णव ने बताया कि भंडार से 142 ग्राम सोना एवं 7 किलो 140 ग्राम चांदी प्राप्त हुई और मंदिर कार्यालय में 271 ग्राम सोना एवं 29 किलो 384 ग्राम 500 मिलीग्राम चांदी भेंट जमा हुई। भंडार गिनती के समय मंदिर बोर्ड सदस्य मदन लाल व्यास, भैरू लाल सोनी, विजय सिंह चौहान, भेरू लाल गाडरी, प्रशासनिक अधिकारी कैलाश चंद्र दाधीच, केशियर नंदकिशोर टेलर, मंदिर प्रभारी राजेंद्र शर्मा, कार्मिक प्रभारी लेहरी लाल गाडरी, अशोक तिवारी, भेंट कक्ष के संजय कुमार मंडोवरा, गजेंद्र गौड़, राजमल बारेठ सहित मंदिर कर्मचारी एवं बैंक स्टाफ उपस्थित थे।

जल प्रकृति का वरदान

जल क्या है:- वैदिक पुराणों के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिये जल पांच तत्वों में से एक है। आम कहावत है कि- जल बिन सब सूना।

ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख किया गया है कि 'आपो वै सर्वा देवता' यानि समस्त देवताओं का स्वरूप जल है। जल प्रकृति का सर्वोत्तम वरदान है।

वर्तमान में जल संकट क्यों है:-

पर्यावरण असंतुलन से वर्षा में कमी। जनसंख्या में वृद्धि एवं अनियोजित औद्योगिक कारण। परम्परागत जल स्त्रोतों जैसे-झीलें, तालाब, कुंओं, बावड़ियों एवं नलकूपों का सूखना।

जल संकट के दुष्परिणाम:-

जल संकट के कारण शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या का पलायन होना तथा ग्रामीण विकास की गति रुकना।

पर्यावरण क्षेत्र में असंतुलन होना, बारिश कम होना आदि। वर्तमान जल स्त्रोतों में कमी होना तथा भूजल की गुणवत्ता में गिरावट आना।

जल संरक्षण कैसे करें:-

(अ) नगरीय स्तर पर-

घरेलू नलों एवं मोहल्लों के नलों से व्यर्थ जल बहने एवं रिसाव पर पाबंदी/रोक। भूमिगत टांके बनवा कर एकत्रित करना चाहिए। बारिश में छत एवं मकानों के व्यर्थ जल को टांके में संरक्षण करना। नगर शहरों में तालाब, कुंए एवं बावड़ियों का रखरखाव समय पर करना चाहिये, जिससे उनमें जल आवक बना रहे। आम नागरिकों को जल संरक्षण के लिये जागरूक करना शहरों में पर्यावरण संरक्षण के कार्य पर विशेष ध्यान दिया जावे।

(ब) ग्रामीण स्तर पर:-

प्रत्येक घर एवं पंचायत स्तर पर वर्ष के जल संग्रह के लिये भूमिगत टांके बनाये जाने चाहिये। पारम्परिक जल स्त्रोतों में जल आवक के लिये नहरों-नालों की सफाई होनी चाहिये।

वर्षा ऋतु में पानी के केचमेन्ट क्षेत्र में पानी की निकासी सुव्यवस्थित कर एनीकट एवं बांधों का निर्माण करना चाहिये, जिससे भूमिगत जल पुन: रिचार्ज हो सके।

सिंचित क्षेत्र में फव्वारों से सिंचाई कर बूंद-बूंद पानी से सिंचाई, खुले नालों की जगह पाईप का उपयोग करें ।

महिलाओं को जल संरक्षण के प्रशिक्षण से 60 प्रतिशत आबादी लाभान्वित हो सकेगी। कम सिंचाई वाली फसलों का उत्पादन करना आदि।

सड़क पर बहने वाले वर्षा जल का पुर्नभरण/संरक्षण करना। वन पर्यावरण को अधिक महत्व दिया जावे ।

बाढ़ के पानी का बहाव रोकना एवं बांध बनाकर उस पानी का संरक्षण करना।

जल संरक्षण की उपयोगिता:-

शहरी एवं ग्रामीण जनता के पलायन को रोका जा सकेगा। जल संरक्षण से भूमिगत जल स्त्रोतों को रिचार्ज किया जा सकेगा ।प्रशिक्षण, प्रचार एवं प्रसार माध्यम से जल निकासी ।

बूंद-बूंद पानी संरक्षण के दृढ़ संकल्प लेने से जल संरक्षण संभव हो सकता है। अत: जल संरक्षण विषय को विशेष महत्व देकर स्कूली शिक्षा एवं महिला शिक्षा में तथा जल संरक्षण पर उच्च एवं तकनिकी शिक्षा विषय विशेषज्ञ का पाठ्यक्रम शुरू किया जाना चाहिये।

डॉ.सुभाष पुरोहित,
पूर्व सदस्य, राजस्थान
अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

शनिवार 8 जनवरी, 2022

पौष मास शुक्ल पक्ष, षष्ठि तिथि, शनिवार, विक्रम संवत 2078, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रविवार प्रात: 7:10 तक, वारियान योग दिन 11:39 तक, तैतिल करण दिन 10:43 तक, चन्द्रमा आज मीन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-धनु, चन्द्रमा-मीन, मंगल-वृश्चिक, बुध-मकर, गुरू-कुम्भ, शुक्र-धनु, शनि-मकर, राहु-वृष, केतु-वृश्चिक राशि में।

आज अनुरूपा छठ (बंगाल में) है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ 8:34 से 9:57 तक, चर 12:53 से 1:51 तक, लाभ-अमृत 1:51 से 4:27 तक।

राहूकाल: 9:00 से 10:30 तक। सूर्योदय 7:21, सूर्यास्त 5:44

मेष
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण मानसिक तनाव और मन में असंतोष बना रहेगा। अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है।

वृष
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है।

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। अटके हुए व्रयावसायिक कार्य बनने लगेंगे। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

कर्क
धार्मिक-मांगलिक कार्यों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित परामर्श मिलेगा।

सिंह
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। यात्रा में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

कन्या
परिवार में प्रसन्नता-हर्षोल्लास का माहौल रहेगा। परिवार में मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं। व्यावसायिक-आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

तुला
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित शुभ संदेश प्राप्त हो सकते हैं। व्यावसायिक विवादों से राहत मिल सकती है। आर्थिक मामलों में परिचितों से सहयोग मिल सकता है।

वृश्चिक
परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है।

धनु
घर-परिवार में वाद-विवाद बढ़ सकते हैं। आपसी अनबन के कारण आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। अनावश्यक धन खर्च होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

मकर
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिचितों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ सकता है।

कुंभ
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आय में वृद्धि होगी।

मीन
व्यावसायिक कार्यों के लिए यात्रा संभव है। व्यावसायिक सुविधाओं में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आर्थिक मामलों में परिचितों से सहयोग मिल सकता है।